वकील वादी उपस्थित। प्रमाणित करते आज तारीख दिनांक 13/7/15 को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

13/7/15 वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा लिखित जवाब नहीं लाई अब अन्तिम मौका दिया जाता है। प्रमाणित करते हुए प्रतिवादी दिनांक 13/8/15 को पेश करें।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

13/8/15 श्रीमान P.O. साहब अवकाश पर होने के कारण आज दिनांक 13/8/15 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 20/10/15 को की जावेगी।

20/10/15 प्रमाणित पेश हुआ। न तो वकील वादी-उपस्थित आये और न ही वादी उपस्थित आये। बार बार आवाज लगवाई गई। बार आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं आये। अतः बाबा वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित करते हुए केस समाप्त करते काम को अग्रिम प्रक्रिया करें।

उपखण्ड अधिकारी
करौली